

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश

ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर - 474002

सं./प्रशासन/हिंदी कक्ष/त्रै. बैठक/कार्यवृत्त/एस.टी.आर.-89-113 दिनांक: 01.06.2023

विषय:- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जनवरी से मार्च, 2023 की त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत्त ।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश, ग्वालियर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जनवरी से मार्च, 2023 की अवधि की त्रैमासिक बैठक दिनांक 04.05.2023 को सायं 03.30 बजे आरंभ हुई । इस बैठक की अध्यक्षता श्री डी. साहू, प्रधान महालेखाकार महोदय ने की तथा बैठक की कार्यवाही का संचालन श्रीमती रश्मि मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, हिन्दी कक्ष/फास ने किया ।

इस अवसर पर संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये गये समूह अधिकारी, शाखा अधिकारीगण एवं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी उपस्थित हुये । बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

1. पिछली तिमाही अक्टूबर से दिसम्बर, 2022 की बैठक के कार्यवृत्त का वाचन, उसकी पुष्टि तथा अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये श्रीमती रश्मि मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, हिन्दी कक्ष/फास ने सर्वप्रथम पिछली तिमाही अक्टूबर से दिसम्बर, 2022 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक के कार्यवृत्त का वाचन किया जिसकी सर्व सम्मति से पुष्टि की गई । उसके बाद कार्यालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा की गई।

2. वर्तमान तिमाही जनवरी से मार्च, 2023 के लिये अनुभागों से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा ।

जनवरी से मार्च, 2023 की तिमाही के दौरान कार्यालय के नियंत्रक-अनुभागों एवं प्रशासन समूह के समस्त अनुभागों से प्राप्त हिन्दी - पत्राचार के प्रतिशत एवं राजभाषा कार्यान्वयन के अन्य बिन्दुओं के संबंध में अनुभाग संगत समीक्षा की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

23

3. भेजे गए पत्रों की स्थिति हिंदी में किया गया पत्राचार का प्रतिशत-

| क्र. | नियंत्रक अनुभाग का नाम | पूर्व तिमाही का प्रतिशत | वर्तमान तिमाही का प्रतिशत |
|------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | प्रशासन -11 | 98.84 | 98.52 |
| 2 | प्रशासन -12 | 98.09 | 95.40 |
| 3 | पी.डी.वी.पी. | - | 90.94 |
| 4 | प्रशासन - 13 | 100 | 100 |
| 5 | प्रशासन - 14 | 100 | 100 |
| 6 | सामान्य अनुभाग | 100 | 100 |
| 7 | कार्यपालन शाखा | 100 | 100 |
| 8 | आई.एस. विंग | 100 | 97.14 |
| 9 | गोपनीय कक्ष | 100 | 100 |
| 10 | आंतरिक लेखापरीक्षा | 100 | 100 |
| 11 | हिन्दी का.कक्ष | 100 | 100 |
| 12 | फास (विविध) | 100 | 100 |
| 13 | कल्याण शाखा | 100 | 100 |
| 14 | रिपोर्ट - 1 | 93.51 | 89.78 |
| 15 | रिपोर्ट - 2 | 100 | 80 |
| 16 | रिपोर्ट (पी.ए.सी.) | 100 | 92.86 |
| 17 | विधि कक्ष | 100 | 97.73 |
| 18 | अनुदान लेखापरीक्षा | 100 | 100 |
| 19 | केन्द्रीय समन्वयन कक्ष | 100 | 100 |
| 20 | ए.एम.जी- 1 (मुख्यालय) | 100 | 100 |
| 21 | ए.एम.जी- 2 (मुख्यालय) | 100 | 100 |
| 22 | ए.एम.जी- 3 (मुख्यालय) | 100 | 100 |
| 23 | ए.एम.जी- 4 (मुख्यालय) | 98.91 | 92.59 |
| 24 | ए.एम.जी- 5 (मुख्यालय) | 100 | 100 |
| 25 | वाणिज्य समन्वयन कक्ष | 92.86 | 88.20 |

नोट:- प्रशासन-11, 12, पी.डी.वी.पी., आई.एस.विंग, रिपोर्ट-1, रिपोर्ट-2, रिपोर्ट-(पी.ए.सी.), विधि कक्ष, ए.एम.जी 4 (मु.) तथा वाणिज्य समन्वयन कक्ष अधिकाधिक कार्य हिंदी में कर रहे हैं परन्तु निर्धारित लक्ष्य 100 प्रतिशत से कम पर कार्य कर रहे हैं ।

पिछली तिमाही की तुलना में वृद्धि का विवरण-

| अनुभाग | पूर्व तिमाही का प्रतिशत | वर्तमान तिमाही का प्रतिशत | प्रतिशत वृद्धि |
|--------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| निरंक | | | |

पिछली तिमाही की तुलना में कमी का विवरण-

| अनुभाग | पूर्व तिमाही का प्रतिशत | वर्तमान तिमाही का प्रतिशत | प्रतिशत कमी |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
| प्रशासन-11 | 98.84 | 98.52 | 0.32 |
| प्रशासन-12 | 98.09 | 95.40 | 2.69 |
| आई एस विंग | 100 | 97.14 | 2.86 |
| रिपोर्ट-1 | 93.51 | 89.78 | 3.73 |
| रिपोर्ट-2 | 100 | 80 | 20 |
| रिपोर्ट (पी.ए.सी.) | 100 | 92.86 | 7.14 |
| विधि कक्ष | 100 | 97.73 | 2.27 |
| ए.एम.जी.- 4 (मु.) | 98.91 | 92.59 | 6.32 |
| वाणिज्य समन्वयन कक्ष | 92.86 | 88.20 | 4.66 |

कार्यालय से भेजे गए कुल पत्रों का प्रतिशत-

| हिंदी | अंग्रेजी | कुल | प्रतिशत |
|-------|----------|------|---------|
| 4503 | 95 | 4598 | 97.93 |

पूर्व तिमाही का प्रतिशत - 99.40

वर्तमान तिमाही का प्रतिशत - 97.93

इस तिमाही में कमी का प्रतिशत - 1.47

4. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन -

इस तिमाही में धारा 3(3) के अंतर्गत निम्न लिखित अनुभागों से कुल 271 कागजात जारी किए गए जो सामान्य अनुदेश प्रकृति के थे । इनमें से कोई भी कागजात केवल अंग्रेजी में जारी नहीं किया गया । अतः कार्यालय द्वारा धारा 3(3) का पूर्णतः पालन किया गया ।

5. हिंदी में प्राप्त पत्रों की स्थिति (नियम 5 का अनुपालन) -

इस तिमाही में कुल 4523 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए। इनमें से कुल 1730 पत्रों के उत्तर हिंदी में एवं 155 पत्र निराकरण के लिए शेष थे। बाकी बचे पत्र नस्ती किए गए। इस तरह नियम 5 का पूर्णतः पालन किया गया।

6. फाइलों पर हिंदी में कार्य-

(क) तिमाही के दौरान लिखी गई कुल टिप्पणियों की संख्या - 3817

(ख) हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या - 3741

(ग) अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या - 76

अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन:- अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निर्देश दिये।

1. जिन अनुभागों द्वारा हिंदी में निर्धारित लक्ष्य 100% प्राप्त नहीं किया है वे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें।
2. समूह अधिकारीगण, शाखा अधिकारीगण एवं संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सार्थक प्रयास करें तथा अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को भी लक्ष्य प्राप्ति हेतु निर्देशित करें।
3. कार्यालयीन पत्रिका 'गोपात्री' का 28वां अंक विषय आधारित बनाकर प्रकाशित करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. जिन अनुभागों ने हिन्दी में शत प्रतिशत कार्य किया है, वे बधाई के पात्र हैं।

बैठक के अन्त में श्रीमती रश्मि मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, हिन्दी कक्ष/फास ने सभी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट किया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही सम्पन्न घोषित की गई।


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
हिन्दी कक्ष

कार्यवृत्त - परिशिष्ट

प्रधान महालेखाकार महोदय की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 04.05.2023 को सम्पन्न बैठक में उपस्थित अधिकारियों /कर्मचारियों की सूची-

| क्र. | सर्व श्री/ सुश्री/ श्रीमती | पदनाम | विवरण |
|------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | हरजिंद्र कुमार | उप महालेखाकार | ए.एम.जी.-03 |
| 2 | मनोज कुमार सिंह श्योरान | सचिव, प्रधान महालेखाकार | सचिव, प्रधान महालेखाकार |
| 3 | रश्मि मिश्रा | वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | हिंदी कक्ष/फास |
| 4 | देवाशीष कर | वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | सामान्य अनुभाग /कार्यपालन शाखा |
| 5 | दीपलता प्रसन्नन | वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | प्रशासन - 11, 12 |
| 6 | उदय ग्वाल्हेरकर | वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | ए.एम.जी. - 02 |
| 7 | मंजुला आर कृष्णन | वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | ए.एम.जी.-05 (मुख्यालय) |
| 8 | सुजीत कुमार डे | वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | रिपोर्ट-1 |
| 9 | अतुल सुर्वे | वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | आई.एस.विंग |
| 10 | मनोज गुप्ता | वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | ए.एम.जी.-03 (मुख्यालय) |
| 11 | धनंजय कुमार | वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | ए.एम.जी.-01 (मुख्यालय) |
| 12 | दिलीप सरदेसाई | सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी | गोपनीय कक्ष |
| 13 | प्रवीण कुमार श्रीवास्तव | सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी | विधि कक्ष |
| 14 | जय किशन सुखवानी | सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी | आंतरिक लेखापरीक्षा |
| 15 | अभिनव त्रिपाठी | सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी | प्रशासन - 11 |
| 16 | विश्वजीत भोंषले | सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी | ए.एम.जी.-03 (मुख्यालय) |
| 17 | स्वपन साहा | सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी | प्रशासन - 13 |
| 18 | प्रवेश मित्तल | सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी | ए.एम.जी.-04 (मुख्यालय) |
| 19 | राममणि तिवारी | सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी | ए.एम.जी.- 01 |
| 20 | अंशुमान अग्निहोत्री | सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी | रिपोर्ट-2 |
| 21 | स्वर्णलता गुप्ता | सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी | हिंदी कक्ष |
| 22 | माधवी मुजूमदार | सहायक पर्यवेक्षक | हिंदी कक्ष |

संजीव
20/5/23

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
हिन्दी कक्ष